## ''प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता स्कीम'' के दिशानिर्देश

### 1. पृष्ठभूमि

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थ व्यवस्था में अत्यधिक गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद पहुंचाकर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं और राष्ट्रीय आय और सम्पति के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाईयों के रूप में बड़े उद्योगों के लिए पूरक हैं तथा देश के सामाजिक आर्थक विकास में बहुत अधिक योगदान प्रदान करते हैं।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने तथा मौजूदा तथा संभावी उद्यमियों के संगत कौशल का उन्नयन करने के उद्देश्य से देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को संवर्धित करता है। नए उद्यमों की स्थापना को संवर्धित करने और नए उद्यमियों के सृजन के क्रम में सूलमउ मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता आ रहा है।

1.3 सूक्ष्म, और लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए उद्यमिता विकास विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक प्रमुख कारक है, उद्यमिता और उसके परिणामस्वरूप रोजगार और धन सृजन समावेशी विकास का एक प्रमुख साधन है। इसलिए उद्यमिता विकास दुनियाभर के देशों की प्राथमिकताओं में एक रहा है।

1.4 नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें नए उद्यमों को प्रोत्साहित एवं उपयुक्त रूप से साधन-संपन्न बनाने के उद्देश्य से सरकार उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थान/उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना में सहायता प्रदान करती आ रही है। ये उद्यमिता विकास संस्थान प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करते आ रहे हैं तथा उन्हें अपने उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान करते आ रहे हैं। सरकार कार्यक्रम सहायता के माध्यम साथ-साथ प्रशिक्षण आधार संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराकर उद्यमिता को गति और संबर्धित करने के लिए सतत और सघन प्रयास करती है।

1.5 सूलमउ मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान, नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी नामक तीन राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना नियमित आधार पर उद्यमिता और कौशल विकास कार्य शुरू करने के लिए की है।

1.6 सूलमउ मंत्रालय नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा वर्तमान प्रशिक्षण संस्थानों की आधार संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थाओं, तकनीकी/प्रबंधन संस्थाओं, अन्य गैर सरकारी संगठनों, आदि के प्रयासों को भी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

### 2. प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता स्कीम :

इस स्कीम में नए संस्थानों की स्थापना, वर्तमान उद्यमिता विकास संस्थानों की आधार संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा उद्यमिता और कौशल विकास कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रथम

पीढ़ी के उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा नए उद्यमों की स्थापना में उन्हें सहायता प्रदान करना तथा नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास के लिए सभी क्षेत्रों से देशी उद्यमिता का विकास करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता आधार तथा व्यवसाय स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना है। इन प्रशिक्षण संस्थानों को, आधार संरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण और उद्यमिता विकास एवं कौशल विकास कार्यक्रम के आयोजन हेतु कार्यक्रम-सहायता के लिए पूँजीगत अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

## 3. स्कीम के अंतर्गत सहायता

### 3.1 राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों के लिए सहायता

#### 3.1.1 पात्रता

(प) राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों (वर्तमान में 3, नामतः-राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबादय राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान, नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी) को नई शाखाएं/केन्द्र खोलने तथा राजस्व घाटा पूर्ति, यदि कोई हो, सहित आधार संरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

#### 3.1.2 सहायता का स्केल

(प) सहायता राशि राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों की आधार संरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार तथा राजस्व घाटे की पूर्ति आदि के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि से अधिक नहीं होगी।

### 3.2 अन्य उद्यमिता विकास संस्थानों के लिए सहायता (राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों के अतिरिक्त)

#### 3.2.1 पात्रता

(प) इस स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित नए उद्यमिता विकास संस्थानों अथवा वर्तमान उद्यमिता विकास संस्थानों को उनकी आधार संरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इस स्कीम के अन्तर्गत केंद्र की सहायता अन्य हितधारकों अर्थात संबंधित संस्थान, राज्य/संघ शासित सरकार और अन्य विकास एजेंसियों/गैर सरकारी संगठन/संस्थान आदि के योगदानों और प्रयासों के लिए उत्प्रेरक और पूरक होगी।

(पप) आवेदक संस्थान प्रस्तावित/वर्तमान संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि का स्वामित्व स्पष्ट रूप से अपने पास होना चाहिए। यदि भूमि पट्टे पर ली जाती है तो पट्टे विलेख की अवधि कम से कम 30 दिनों की होनी चाहिए।

(पपप) वित्तीय सहायता भवन के निर्माण, प्रशिक्षण सहायक उपकरणों, कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटरों की खरीद और अन्य सहायता सेवाएं जैसे पुस्तकालय/डाटावेस आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मामले में विशेष आवश्यकताओं के लिए ही होगी। भूमि की लागत, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण आदि को केंद्र सरकार के अनुरूप अनुदान की गणना के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।

**3.2.2 सहायता का स्केल**

(प) इस स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम सहायता प्रत्येक मामले में 150 लाख रूपए तक सीमित होगी। तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) अथवा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के संघ शासित प्रदेशों में संबंधित राज्य/संघशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों के लिए अधिकतम सहायता 270 लाख रूपए अथवा परियोजना का 90 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, होगी।

(पप) वे संस्थान जिन्हें इस स्कीम के अंतर्गत पहले पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कर दिया गया था वे भी उक्त वर्णित प्रयोजनों के लिए पुनः अनुदान की मांग कर सकते हैं। तथापि अधिकतम सहायता 150 लाख रूपए की सीमा में होंगी (पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) अथवा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के संघशासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों के लिए 270 लाख रूपए) जिसमें उन्हें पहले जारी किया गया अनुदान शामिल होगा।

(पपप) स्कीम के अन्तर्गत सहायता परियोजना लागत (भूमि की लागत और कार्यशील पूंजी को छोड़कर) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं (पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) या अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के संघशासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों में 90 प्रतिशत) के अनुरूप आधार पर होगी। अनुरूप अनुदान का शेष 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र अथवा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूहों में राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों के लिए 10 प्रतिशत) संबंधित संस्थान, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार, सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान, गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट/बैंक/कम्पनी/सोसाइटी/स्वैच्छिक संगठन से दिया जाना चाहिए।

(पअ) राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/अन्य एजेंसियों का अंशदान गैर वापसीयोग्य अंशदान/अनुदान के रूप में होना चाहिए। संस्थान के लिए ऋण के रूप में राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों की भागीदारी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की गणना के प्रयोजनार्थ स्वीकार्य नहीं होगी।

**3.2.3 अन्य शर्तें**

(प) सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के माध्यम से आएंगे और उन पर संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार की सिफारिश अपेक्षित होगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्तावों पर सिफारिश करने से पूर्व प्रयोजन, आवश्यकता, प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता, नजदीकी औद्योगिक क्लस्टरों से सम्भव संपर्क और संभावित लाभों आदि समेत प्रस्तावों की जांच करेगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार भी प्रस्तावों के लिए वित्तीय अनुमानों की भी जांच करेगी और स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राशि के संबंध में अपनी स्पष्ट सिफारिश देगी।

(पप) केंद्र सरकार प्रशासनिक बोर्ड अथवा उद्यमिता विकास संस्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार किसी अन्य समकक्ष निकाय के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार के अवर सचिव की रैंक से ऊपर के किसी अधिकारी को नामित कर सकती है। यह संबंधित ईडीआई की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे नामांकित अधिकारी को प्रशासनिक बोर्ड (या समकक्ष) की सभी बैठकों में आमंत्रित करें।

(पपप) इस स्कीम के अंतर्गत सहायता, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तभी जारी की जाएगी जब आवेदक संगठन ने अपने हिस्से के अंशदान अथवा निर्दिष्ट बैंक खाते में उसके जमा हिस्से अथवा राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के मामले में उसके लिए जारी स्वीकृत आदेश के अनुरूप उसका उपयोग कर लिया हो। यदि जहाँ सहायता की पहली किस्त (50ः) राज्य/संघ शासित प्रदेश के स्वीकृति आदेश के

आधार पर जारी की जाती है तथा इस स्कीम के अधीन दूसरी किस्त (50ः) राज्य/संघ शासित प्रदेश से अनुरूप अंशदान प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाएगी।

(पअ) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान का समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा करना अपेक्षित होगा तथा उसे स्वीकृत पत्र में निर्धारित अवधि में स्वीकृत सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(अ) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान को सूलमउ मंत्रालय से लिखित अनुमति लिए बिना इस स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता से सृजित परिसम्पतियों को न तो बेचेंगे और न ही पट्टे पर देंगे अथवा किसी प्रकार का प्रभार सृजित करेंगे।

(अप) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान सूलमउ मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना उद्यमिता विकास संस्थान के मूलभूत रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान का चार्टर जो कि इसके उद्देश्यों को दर्शाता है, उसमें सूलमउ मंत्रालय के लिखित आदेश के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

( अपप) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित कुछ न्यूनतम कार्यकलापों/कार्यक्रमों को पूरा करना अपेक्षित होगा।

( अपपप) स्कीम के अंतर्गत प्रदान वित्तीय सहायता गैर-आवर्ती और पूंजीगत प्रकृति की होगी। किसी भी स्थिति में स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई अनुदान निधियों का उपयोग संस्थान के संकाय, कर्मचारी या प्रशासकों के वेतन और भत्ते आदि भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा।

( पग) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा सहायता प्राप्त ईडीआइ को सूलमउ मंत्रालय को वित्तीय सहायता की प्राप्ति के उपरांत कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। समक्षाधीन अवधि में स्कीम के कार्यान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट में निर्माण कार्यकलाप, मशीनरी/उपकरण आदि की प्राप्ति के व्यौरे शामिल होंगे। वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षा किए गए लेखाओं के साथ समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा सम्पादित कार्यकलापों के व्यौरे शामिल होने चाहिए। रिपोर्ट में भागीदार प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षुओं के व्यौरे तथा सफल उद्यमी जिन्होंने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं, के व्यौरे भी शामिल होंगे।

(ग) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा किसी भी समय सूलमउ मंत्रालय द्वारा सत्यापन हेतु अनुदान निधियों के उपयोग से प्राप्त उपकरणों/परिसम्पतियों के एक नियत परिसम्पति रजिस्टर रखना अपेक्षित होगा।

(गप) समयावधि में स्वीकृत निधियों के उपयोग में असफल अथवा इसके दुरूपयोग, दुर्विनियोग अथवा पथांतर अथवा उक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन करने पर सरकार के पास सम्पूर्ण सहायता राशि ब्याज सहित लेने तथा उसके अतिरिक्त अन्य कानूनी और/या आर्थिक दंड लगाने, जैसा भी उचित समझें, का अधिकार पात्र होगा।

(गपप) केन्द्र सरकार सहायता की स्वीकृति जारी करने से पूर्व यथा आवश्यक ऐसी अन्य शर्त भी निर्धारित कर सकती है।

## 3.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता

### 3.3.1 पात्रता

(प) इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) एवं उद्यमिता और/अथवा कौशल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों के आयोजन के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान की जा सकती हैः-

(क) राष्ट्रस्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान (शाखाओं सहित),
(ख) राष्ट्रस्तरीय उद्यमिता विकास संस्थाओं की भागीदार संस्थाओं (पीआई) द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थाएँ,
(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रशिक्षण/इनक्यूबेशन केन्द्र,
(घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के फ्रेन्चाइजीज द्वारा स्थापित प्रशिक्षण सह इनक्यूबेटर केन्द्र (टीआईसी) और
(च) इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित, व्यावसायिक सक्षमता, सामर्थ्य एवं अनुभव प्राप्त अन्य प्रशिक्षण संस्थाएँ।

(पप) सामान्यतः, केवल अल्पकालिक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों (गैर आवासीय) जैसे- 1 से 3 महीनों के लिए 'ईएसडीपी' (प्रशिक्षण इनपुटों के 100 से 300 घंटे), 2 सप्ताह के लिए 'ईडीपी' (प्रशिक्षण इनपुटों के 72 घंटे) एवं 'टीओटी' कार्यक्रम (प्रशिक्षण इनपुटों के 300 घंटे) के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि अल्पकालिक/दीर्घकालिक अवधि के ईडीपी/ईएसडीपी/टीओटी पर इनकी न्यायसंगतता को रिकार्ड करने के पश्चात् सचिव (सूलमउ), के अनुमोदन के आधार पर विचार/स्वीकृत किया जा सकता है।

(पपप) इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता आवर्ती और राजस्व प्रकृति की होगी।

(पअ) केन्द्र सरकार सहायता की स्वीकृति/जारी करने से पहले, यदि आवश्यक हो तो, ऐसी अन्य शर्तें, निर्धारित कर सकती है।

### 3.3.2 सहायता का स्केल

(प) संबंधित प्रशिक्षण संस्था, आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे- ईडीपी/ईएसडीपी/टीओटी के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगी। हालांकि, इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण इनपुटों के घंटों की संख्या) की अवधि पर निर्भर होगी, और निम्नलिखित दरों अथवा वसूले गये वास्तविक शुल्क, जो भी कम हो, तक सीमित होगीः-

| विवरण | अधिकतम सहायता प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा (रुपए) |
|---|---|
| **अ.जा./अ.ज.जा./शारीरिक विकलांग/पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहो के संघशासित प्रदेश (एनईआर+)** | |
| जिला मुख्यालय (एचक्यू) | 60/- |
| जिला मुख्यालय के अलावा अन्य शहरी क्षेत्र | 50/- |
| ग्रामीण क्षेत्र | 40/- |
| **अन्य** | |
| जिला मुख्यालय (एचक्यू) | 50/- |
| जिला मुख्यालय के अलावा अन्य शहरी क्षेत्र | 40/- |
| ग्रामीण क्षेत्र | 30/- |

(पप) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों के लिए सहायता 60 रुपए प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा की दर पर प्रदान की जाएगी।

(पपप) प्रशिक्षुओं से, प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा एवं ठहरने के लिए स्वयं व्यवस्था करने की आशा की जाती है। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आवासीय सुविधा मुहैया कराए जाने की स्थिति में, संस्थाएं, प्रशिक्षुओं से इसका खर्च वसूल सकती हैं। यात्रा के खर्चे की प्रतिपूर्ति, बोर्डिंग और लॉजिंग खर्चों व स्टाइपैंड आदि के लिए इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता को अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य/संघ शासित सरकारों की स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं/लाभों के अनुरूप होना स्वीकार्य होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करना प्रशिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि इसमें कोई भी जालसाजी नहीं हुई है एवं इसी उद्देश्य के लिए सहायता के लिए एक स्कीम से अधिक में दावा नहीं किया गया है।

### 3.3.3 अन्य शर्तें

(प) इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी/ईएसडीपी/टीओटी) आयोजित करने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव 'पीआई' और ईडीआई/एनएसआईसी की फ्रेंचाइजीज द्वारा संबंधित राष्ट्रस्तरीय ईडीआई/एनएसआईसी के माध्यम से जॉच समिति को प्रस्तुत किए जाएगें एवं अन्य मामलों में सीधे प्रस्तुत किए जाएगें। ईडीआई/एनएसआईसी के माध्यम से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावो की जॉच करेगें और उन पर अपनी सिफारिशें देगें। जॉच समिति, प्रस्तावों की उपयुक्तता, प्रशिक्षण संस्थाओं की सक्षमता, सामर्थ्य और पिछले कार्यनिष्पादन/अनुभव, निधियों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए सचिव (सूलमउ) को अग्रेषित करेगी।

(पप) अनुमोदन के उपरांत, मंत्रालय अपेक्षित निधियों को राष्ट्रस्तरीय ईडीआई/एनएसआईसी के पास रखेगा (उस स्थिति में, प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके द्वारा या उनके पीआई/फ्रेंचाइजीज द्वारा आयोजित किया जाए)। इसके बदले में, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संपादित होने पर संबंधित पीआई/फ्रेंचाइजीज को निधियॉ जारी करेगा तथा मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। संबंधित ईडीआई/एनएसआईसी इनपुटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षओं की वास्तविक संख्या को प्रमाणीकृत करने के लिए भी जवाबदेह होगा। ईडीआई/एनएसआईसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संपादित होने पर, उनके द्वारा सीधे तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य मामलों में, निधियॉ संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिपूर्ति आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपादन के बाद जारी की जाएगीं।

(पपप) जॉच समिति आवेदक प्रशिक्षण संस्थान की सामर्थ्य, क्षमता और अनुभव की जॉच के लिए मानक भी बनाएगी।

(पअ) केंद्र सरकार और/अथवा संबंधित राष्ट्रस्तरीय ईडीआई/एनएसआईसी आवश्यकतानुसार अपने कार्यालयों के माध्यम से या एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस प्रकार की आगामी जॉच कर सकते हैं।

(अ) यदि आगे ऐसा पाया जाता है कि सहायता का दावा गलत रूप से या धोखाधडी-पूर्वक किया गया है या उसी वस्तु/गतिविधि के लिए सहायता का दावा किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत भी किया गया है, तो सरकार संपूर्ण सहायता राशि को ब्याज के साथ वसूलने, तथा वैसी अन्य कानूनी और/अथवा दंडात्मक कार्रवाई करने की पात्र होगी, जैसी भी वह आवश्यक समझे।

4. आवेदन प्रक्रिया

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निदेशक, सूलमउ मंत्रालय (कमरा नं. 268, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107) को आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे जो आवेदनों पर कार्यवाही करेंगे और उन्हें निम्नवत् पैरा-5 में गठित जांच समिति को प्रस्तुत करेंगे। जांच समिति स्कीम के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और सचिव सू.ल.म.उ. को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। सचिव सू.ल.म.उ. के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकार्य अनुदान जारी किया जाएगा/आवेदक संगठन को अनुमोदन संसूचित किया जाएगा।

5. जांच समिति

जांच समिति की संरचना निम्नानुसार होगी-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. मंत्रालय | - अध्यक्ष |
| 2. | आर्थिक सलाहकार, सू.ल.म.उ. मंत्रालय | - सदस्य |
| 3. | विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय के औद्योगिक सलाहकार/ संयुक्त विकास आयुक्त | - सदस्य |
| 4. | निदेशक/अवर सचिव, आंतरिक वित्त स्कंध (सू.ल.म.उ. मंत्रालय) | - सदस्य |
| 5. | निदेशक, सू.ल.म.उ.मंत्रालय | -सदस्य सचिव |

6. मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

स्कीम की प्रगति की समय-समय पर जांच समिति और सचिव (सूलमउ) द्वारा नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाएगी। स्कीम के समग्र प्रभाव का ग्यारवीं योजना अवधि के अन्त में अथवा उससे पहले एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।